रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102022-239700
CG-DL-E-17102022-239700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 2022/आश्विन 25, 1944
No. 522] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2022/ASVINA 25, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2022

फा.सं.18-729/2000-आईएनसी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, **मल्लिगे स्कूल ऑफ नर्सिंग, हनुमंथनगर, गुट्टेपल्या, बिन्नमंगला बिन्नमंगला बैंगलोर नेलामंगला - 562123, कर्नाटक** ("कॉलेज") को कर्नाटक सरकार और कर्नाटक राज्य नर्सिंग परिषद ने जीएनएम पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता प्रदान की थी।

जबकि, मल्लिगे स्कूल ऑफ नर्सिंग ने मल्लिगे मेडिकल सेंटर का अपने मूल अस्पताल के रूप में उल्लेख करके कर्नाटक राज्य नर्सिंग परिषद और कर्नाटक राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त की थी।

जबकि, भारतीय नर्सिंग परिषद ("परिषद") द्वारा वैध मूल अस्पताल के विवरण के संबंध में मल्लिगे स्कूल ऑफ नर्सिंग द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी और एक नोटरीकृत उपक्रम के माध्यम से गलत जानकारी प्रदान करने, बिना प्राधिकरण के दस्तावेजों का अवैध रूप से उपयोग करने और अनुचित लाभ कमाने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

जबकि परिषद ने मल्लिगे स्कूल ऑफ नर्सिंग से पत्र दिनांक 02.07.2021 के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा था। मल्लिगे स्कूल ऑफ नर्सिंग ने उपरोक्त पत्र दिनांक 02.07.2021 के जवाब में सहायक दस्तावेजों के साथ दिनांक 29.07.2021 को एक ईमेल भेजा। तत्पश्चात, परिषद् ने मल्लिगे स्कूल ऑफ नर्सिंग को एक अतिरिक्त पत्र दिनांक 13.08.2021 जारी किया जिसमें उन्हें मूल अस्पताल, ट्रस्ट के सदस्यों और मल्लिगे मेडिकल सेंटर के आईटीआर के मुद्दे पर इसके अतिरिक्त स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। परिषद ने मल्लिगे मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को अलग से पत्र दिनांक 13.08.2021 भी जारी किया तथा मल्लिगे स्कूल ऑफ नर्सिंग का मूल अस्पताल होने पर उनकी टिप्पणी मांगी। मल्लिगे

स्कूल ऑफ नर्सिंग ने पत्र दिनांक 13.08.2021 के उत्तर में परिषद् को कुछ अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ दिनांक 15.08.2021 को एक ईमेल भेजा। इसके अलावा, मल्लिगे मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने परिषद को पत्र दिनांक 13.08.2021 के उत्तर में दिनांक 19.08.2021 को एक पत्र भेजा।

जबकि परिषद ने मल्लिगे स्कूल ऑफ नर्सिंग को कारण बताओ नोटिस/ स्पष्टीकरण दिनांक 27.01.2022 जारी किया था। मल्लिगे स्कूल ऑफ नर्सिंग को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। तथापि, उक्त महाविद्यालय उक्त कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर/टिप्पणी भेजने में विफल रहा है।

जबकि, परिषद ने कर्नाटक राज्य सरकार को दिनांक 06.04.2022 को एक पत्र भेजकर राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त करने और कई वर्षों से झूठी सूचना के आधार पर परिषद से उपयुक्तता प्राप्त करने, एक नोटरी उपक्रम के माध्यम से गलत जानकारी प्रस्तुत करना, बिना प्राधिकरण के दस्तावेजों का अवैध रूप से उपयोग करने के आरोपों पर उनकी टिप्पणी/टिप्पणी मांगी थी और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना प्रासंगिक कानूनों के तहत गंभीर अपराध है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद्, अधिनियम की धारा 14 (3)-बी के संदर्भ में, जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मल्लिगे स्कूल ऑफ नर्सिंग की मान्यता **एतद्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-2023** से वापस ले ली जाती है।

यह घोषित किया जाता है कि 11.05.2022 से, **मल्लिगे स्कूल ऑफ नर्सिंग** से कोई भी योग्यता प्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति **कर्नाटक राज्य सरकार** के आदेशों के अधीन केवल **कर्नाटक** राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

[विज्ञापन-III/4/असा./338/2022-23]

ले.कर्नल(डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 14th October, 2022

F. No. 18-729/2000-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Government of Karnataka and Karnataka State nursing Council had granted recognition to **Mallige School of Nursing, Hanumanthanagar, Guttepalya, Binnamangala Binnamangala Bangalore Nelamangala – 562123, Karnataka** ("College") for running GNM course.

Whereas, the Mallige School of Nursing had obtained recognition from the Karnataka State nursing Council and the Karnataka state government by mentioning Mallige Medical Centre as its parent Hospital.

Whereas, a complaint was received by Indian Nursing Council ("Council") with regards to incorrect information furnished by Mallige School of Nursing with respect to details of valid parent hospital and providing false information by way of a notarised undertaking, illegally using documents without authorisation and misrepresenting facts to make undue gains.

WHEREAS, the Council had sought clarification from Mallige school of nursing vide letter dated 02.07.2021. The Mallige School of Nursing sent an email dated 29.07.2021 along with supporting documents in response to the aforesaid letter dated 02.07.2021. Thereafter, Council issued another letter dated 13.08.2021 to Mallige School of Nursing requiring them to clarify further on the issue of parent hospital, members of the trust and ITR of Mallige medical centre. The Council also issued separate letter dated 13.08.2021 to Mallige Medical Centre Pvt. Ltd. asking for their comments on it being the parent hospital of Mallige School of Nursing. The Mallige School of Nursing sent an email dated 15.08.2021 to the Council in response to the letter dated 13.08.2021 with some other supporting documents. Further, Mallige Medical Centre Pvt. sent a letter dated 19.08.2021 in reply to Council letter dated 13.08.2021.

Whereas, the Council had issued show cause notice/ clarification dated 27.01.2022 to Mallige school of Nursing. That 15 days were given to the Mallige school of Nursing to respond. However, the said college has failed to send any reply/ comments to the said show cause notice.

Whereas, the Council had sent a letter dated 06.04.2022 to the State government of Karnataka asking them for their remarks/ comments to the allegations regarding obtaining recognitions from the state nursing council and suitability from the Council on the basis of false information for several years, furnishing false information by way of a notarised undertaking, illegally using documents without authorisation and misrepresenting facts to make undue gains amounting to serious offence under relevant laws.

Hence, therefore, the recognition of Mallige school of Nursing for conducting GNM course is **hereby withdrawn from the academic session 2022-2023** in terms of Section 14 (3)-b of the Act.

It is declared that from 11.05.2022, any person obtaining any recognized qualification from **Mallige school of Nursing** shall be entitled to be registered only in the state of **Karnataka** subject to orders of the **State government of the Karnataka**.

[ADVT.-III/4/Exty./338/2022-23]

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA